संख्या- 30 /2019/548/24-1-19-1353(बजट)/2018

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु वित्तीय सहायता की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक वित्त उ0प्र0 पावर करपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-286/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्यय/2018-19/341 दिनांक 06 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु वित्तीय सहायता के भुगतान हेतु ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 2017 में इंगित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा जिस मद में धनराशि रूवीकृत की गयी है उसी मद में खर्च किया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13-जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

7- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो।

8- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-21- विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु-42- अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

http://bhasanadesh.up.nic.in

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 84 /दस-2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 30 /2019/548(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/राज्य योजना अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in